

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आव./ICDS/18/164175-184

जयपुर,दिनांक: 11/9/18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
.....जिला.....।

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत परियोजना कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य के विभिन्न उपमदों एवं पूरक पोषाहार के अंतर्गत निम्न बजट मदों में अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

नोन टी.एस.पी. परियोजनाओं के लिए	भण्डार, परिवहन, गरम पोषाहार,आरटीईएसएचजी	आरटीई एसएचजी के लिए
मांग संख्या-33 2236-पोषण 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 197-ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01)-समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से [02]-ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)	मांग संख्या-33 2236-पोषण 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 101-विशेष पोषण कार्यक्रम (01)-समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से [01]-पोषाहार केंद्र कार्यक्रम 61-खादय सामग्री (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)	मांग संख्या-51 2236-पोषण 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट सघटक योजना (01)-समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से [01]-पोषाहार केंद्र कार्यक्रम 61-खादय सामग्री (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

क. सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	(राशि लाखों में)		
				पूर्व आवंटन	अति. आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	बाविपअ, माण्डलगढ	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	15.00
			राज्य निधि	22.50	15.00	45.00
2	.. हिण्डौन ग्रा.	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	7.50	15.00
			राज्य निधि	22.50	22.50	45.00
3	.. जमवारागढ	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	7.50	15.00
			राज्य निधि	22.50	22.50	45.00
			राज्य निधि-ब	15.00	10.00	25.00
4	.. रियां	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	4.00	11.50
			राज्य निधि	22.50	12.00	34.50
			राज्य निधि-ब	15.00	3.00	18.00
5	.. मालपुरा	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	15.00	10.00	25.00
		03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.15	0.10	0.25
			राज्य निधि	0.45	0.30	0.75
6	.. गौगुन्दा	05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
7	.. धोरीमन्ला II	36. वाहन किराया	केन्द्रीय सहायता	1.08	0.24	1.32
			राज्य निधि	0.72	0.16	0.88
8	.. रूपवास	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	7.50	15.00
			राज्य निधि	22.50	22.50	45.00
			राज्य निधि-ब	15.00	10.00	25.00
9	.. झोटवाडा	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	7.50	15.00
			राज्य निधि	22.50	22.50	45.00
10	.. निवाँई	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	7.50	15.00
			राज्य निधि	22.50	22.50	45.00

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के परिपत्र क्रमांक 121369 दिनांक 15.9.16 के अनुसार कार्यालय व्यय मद अंतर्गत राशि 0.60 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम के नॉमर्स की सीमान्तर्गत व्यय सीमित रखना एवं वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.7.18 के अनुसार क्रय/उपापन (Procurement) किया जाना सुनिश्चित करें।



वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/18/ 164185-194

जयपुर, दि: 11/9/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


वित्तीय सलाहकार